

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त कर दिया जायेगा।

एकल खिड़की के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 019 दिनांक 01/04/2019
प्राप्ति जसराज एंव देव किशन पुतलजी धनगराज
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No-102
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय श्रमिक पुरा के
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
का स्वनिर्धारण राशि रुपये 95,7875/- (नौ
जरिये रसौंद मंड्या 9069/3710, 3711
दिनांक 01/04/2019 को जमा करा दो है।

Yashwantrao
मान्यपकर

...

67+1
आवासीय

Smrty

नगरपालिका
94130-29594